राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0
उद्योग–भवन, तिलक–मार्ग, जयपुर – 302005

कमांकः आईपीआई/पी–5/2013/46/1920
दिनांकः 28, अक्टूबर, 2016

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष प्रयोजन वाले औद्योगिक पार्को, एवं सम्पर्क सडक आदि के लिए अवाप्त की जाने वाली निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों को उनकी अवाप्त की जाने वाली भूमि के नकद मुआवजे के एवज में राज्य सरकार/निगम की नीति दिनांक 24.03.2008 एवं 12.11.2009 के अनुसार विकसित भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है । उक्त प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित खातेदारों/ हितबद्ध व्यक्तियों को जारी आवंटन पत्र के अनुमोदित प्रारूप में आवंटित की जाने वाली भूमि के भौतिक कब्जे से सम्बन्धित निम्न शर्त जोडी गई थी ।

"आवंटी को आवासीय भूखण्ड का भौतिक कब्जा, भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किये जाने की तिथि से 120 दिवस की अवधि में प्राप्त करना होगा । यदि आवंटी निर्धारित समयावधि में भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं लेता है, तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा" ।

चूंकि विकसित भूमि आवंटन का आशय उस क्षेत्र के विकास होने के उपरान्त आवंटित की जाने वाली भूमि से है, जबकि निगम प्रबन्धन की जानकारी में यह लाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं आवासीय कॉलोनी का विकास भिन्न भिन्न चरणों में किया जाता है, इसलिए निगम प्रबन्धन द्वारा यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त वर्णित आवंटित की जाने वाली विकसित भूमि के कब्जे सम्बन्धी शर्त को संशोधित किया जाय । उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित शर्त निम्नानुसार होगी :–

"आवंटी को आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड का भौतिक कब्जा, आवासीय कॉलोनी/क्षेत्र जिसमें आवंटित भूखण्ड स्थित है, के विकसित होने की तिथि से 120 दिवस की अवधि में प्राप्त करना होगा । यदि आवंटी निर्धारित समयावधि में भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं लेता है, तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

निगम प्रबन्धन द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि जिन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित पूर्ववर्ती शर्त के आधार पर आवंटन पत्र सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को जारी किये जा चुके हैं वहां आवंटन पत्र में तद्नुसार संशोधन जारी किया जाये एवं संशोधित शर्त के अनुरूप ही आवंटन पत्र व लीज डीड को पढा व समझा जावे ।

उपरोक्त आदेश हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(विजय पाल सिंह)
सलाहकार (इन्फा)

d/rks/circular misc.